"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2016— भाद्रपद 30, शक 1938

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-87/2011/गृह-दो. — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त योजना की अनुसूची में, -

अनुसूची के सरल क्रमांक 4 एवं 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

संख्या (1)	क्षति या चोट का विवरण (2)	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा (3)
"4.	अवयस्क का बलात्कार	3.00 लाख
5.	बलात्कार	1.00 लाख"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 3-87/2011/गृह-दो. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-09-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 14th September 2016

NOTIFICATION

No. F 3-87/2011/Home-Two. — In exercise of the powers conferred by Section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Victim Compensation Scheme-2011, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said scheme,-

For serial number 4 and 5 and entries relating thereto of the Schedule, the following shall be substituted, namely :-

S. No. (1)	Details of Loss or Injury (2)	Maximum Limit of Compensation (3)
"4.	Rape of Minor	3.00 Lac
5.	Rape	1.00 Lac"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.